यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, ब्लाक–पी 2, ओमेगा, ग्रेटर नौएडा, गौ0 बु0 नगर

पत्रांक–नियोजन / PG/886/BP-09
दिनांक– 20/03/2014

सेवा में,

मैसर्स ग्रीन बे इन्फास्टेकचर प्रा0 लि0
आर.जेड– डी 5,
महावीर इन्कलेव, नई दिल्ली –110045

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक– 19 / 12 / 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा भूखण्ड संख्या टी0 एस0 –06 सैक्टर–22डी, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तुत मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त पुनरीक्षित भू–उपयोग / भू–विन्यास मानचित्र की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जा रही है।

1. ह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पॉच वर्ष तक वैध है। साथ ही पटटा प्रलेख की शर्तो का अनुपालन करना होगा।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नही होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
6. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा (यदि आवश्यक हो) ।
7. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
8. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनॉक 14 / 09 / 06 में निहित प्राविधानों एवं समय–समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मानचित्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं यमुना एक्सप्रेसवे भवन विनियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
9. समय–समय पर भू–उपयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों एवं प्राधिकरण से दिये जाने वाले निर्देशों का आवंटी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. संस्था द्वारा ग्रीन व ओपन स्पेस तथा पार्किंग नियमानुसार छोड़े जायेगें।
11. प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था का विकास करना होगा।
12. परियोजना विभाग द्वारा वाह्य ड्रेनेज के लिए जो लेवल संस्था को उपलब्ध कराये जाएगें उसके अनुरूप ड्रेनेज प्लान को तैयार कर प्राविधान करने होंगें।
13. सालिड वेस्ट डिस्पोजल व मैनेजमेंट आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

14. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
15. आवंटी को प्राधिकरण/अन्य स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुरक्षण शुल्क/उपयोग व्यय वहन करने होगें।
16. मास्टर प्लान एवं भवनविनियमावली (यथा संशोधित) में दिये गये नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
17. प्रवेश/निकास के प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
19. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
20. परियोजना विभाग के पत्रांक–वाई.ई.ए/एस.एम(वर्क सर्किल 2)/2013/122 दिनांक–24/01/2013 में सर्विसेस यथा सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं विद्युत के सम्बन्ध में उल्लेखित नियम एवं शर्तो का पालन करना होगा।
21. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नही किया जाएगा।
22. प्रश्नगत भूखण्ड में जो भूमि मा0 उच्च न्यायालय के स्थागनादेश से प्रभावित है उस पर मानचित्र केवल नियोजन हेतु प्रतीकात्मक रूप से रहेगा तथा प्राधिकरण द्वारा उस पर कोई मानचित्र स्वीकृति नही की जा रही है।
23. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
24. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आंवटी स्वंय लेगें।
24. आवंटी एन0जी0टी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करेंगें।

meena 20/3/14.

(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक–नियोजन

संलग्न : स्वीकृत भू–उपयोग/भू–विन्यास मानचित्र की प्रति।
परियोजना विभाग के पत्र संख्या–वाई.ई.ए/एस.एम(वर्क सर्किल 2)/2013/122 की प्रति।

प्रतिलिपि–

1. **निजी सचिव,मुख्य कार्यापालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।**
2. **महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

meena 20/3/14

महाप्रबन्धक–नियोजन